कार्यालय
राज्य जल संसाधन अभिकरण
उत्तर प्रदेश सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
वाल्मी भवन, उतरेटिया, लखनऊ-226029
दूरभाष : 0522-2440863, 2443973

विज्ञापन सं० 04/स्वारा-133/नियुक्ति/यूपीवामरेक/2021-22 दिनांकः 23-08-2021

यू०पी० वामरेक अधिनियम 2014 (यू०पी० एक्ट सं०-5, 2014) के अधीन उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग (यूपीवामरेक) के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन ।

१. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के भीतर कृषि, औद्योगिक, पेय, विद्युत और अन्य प्रयोजनों के लिये जल उपयोग हेतु टैरिफ को संस्तुत एवं विनियमित करने, बाढ़ रक्षा एवं जल निकास संकर्म द्वारा लाभान्वित भूमि पर उपकर की दर का उद्ग्रहण करने के लिये राज्य को नीति तैयार करने एवं जल संसाधन के निष्पादन में सहयोग प्रदान करने तथा विवेकपूर्ण, साम्यापूर्ण और पोषणीय प्रबंधन, राज्य के पोषणीय विकास को सुनिश्चित करने हेतु जल संसाधन के आवंटन और अनुकूलतम उपयोग को सुगम बनाने एवं सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश जल प्रबंधन और नियामक आयोग की स्थापना की गयी है। उत्तर प्रदेश जल प्रबंधन और नियामक आयोग अधिनियम २०१४ दिनांक ०४ मार्च, २०१४ से प्रभावी है तथा उत्तर प्रदेश जल प्रबंधन और नियामक आयोग की स्थापना १६ मई, २०१४ से की गयी है।

२. **आयोग की स्थापना एवं नियुक्तियाँ :**

उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश जल प्रबंधन और नियामक आयोग अधिनियम २०१४ की धारा ३(४) के अन्तर्गत प्रस्तर-३ में दिये गये विवरण के अनुसार अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करना चाहती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश जल प्रबंधन और नियामक आयोग अधिनियम २०१४ की धारा ६ की उपधारा-१ के अधीन एक चयन समिति का गठन किया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा चयन समिति की तरफ से अध्यक्ष एवं सदस्यों के पद पर नियुक्ति हेतु प्रार्थना-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें शासन के विचाराधीन है।

३. **अर्हताः**

३.१ ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष एवं सदस्य के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया जायेगा जो निम्नलिखित अर्हता रखता हो:-

क्र० सं०	कोटि संख्या	पदनाम	पदों की संख्या	अर्हता
१.	कोटि सं० 01/CP/ UPWaMReC	**अध्यक्ष**	एक	ऐसा व्यक्ति जिसके पास न्यूनतम २५ वर्ष के प्रशासनिक अनुभव के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान की स्नातक की उपाधि हो और उसने राज्य सरकार के मुख्य सचिव या भारत सरकार के सचिव का पद या उसके समकक्ष कोई पद अवश्य धारण किया हो और जल संसाधन से संबंधित विभागों का अनुभव रखता हो।
२.	कोटि सं० 02/MWR/ UPWaMReC	**सदस्य (जल संसाधन)**	एक	जल संसाधन के क्षेत्र का विशेषज्ञ, जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान की सिविल अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि रखता हो और सिंचाई/ जल संसाधन के क्षेत्र में कम से कम २० वर्ष की सेवा का अनुभव रखता हो और मुख्य अभियन्ता या उसके समकक्ष किसी पद पर कार्य किया हो।

क्र० सं०	कोटि संख्या	पदनाम	पदों की संख्या	अर्हता
३.	कोटि सं० 03/MWE/ UPWaMReC	**सदस्य (जल संसाधन अर्थ व्यवस्था)**	एक	जल संसाधन अर्थ व्यवस्था के क्षेत्र का विशेषज्ञ, जो अर्थशास्त्र/वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि रखता हो या वित्त/एकाउण्टेंसी में एम०बी०ए० हो। उसको किसी प्रतिष्ठित प्रबन्ध संस्थान में आचार्य के रूप में या कंपनी अधिनियम, १९५६ की धारा ४-क के अधीन विनिर्दिष्ट किसी वित्तीय संस्था में पूर्णकालिक निदेशक के रूप में या भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम १९३४ के अर्थान्तर्गत किसी अनुसूचित बैंक में पूर्णकालिक निदेशक के रूप में कार्य करने के साथ कम से कम २० वर्ष का अनुभव होना चाहिए या उसकी वित्त, विनियम, टैरिफ संरचना आदि से सम्बन्धित सारभूत व्यवसायिक पृष्ठभूमि अवश्य होनी चाहिए।
४.	कोटि सं० 04/MDW/ UPWaMReC	**सदस्य (पेयजल और उच्छिष्ट जल प्रबन्धन)**	एक	पेयजल और उच्छिष्ट जल प्रबन्धन के क्षेत्र का विशेषज्ञ, जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल/सार्वजनिक स्वास्थ्य/पर्यावरणीय अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि रखता हो। उसकी नगरीय/ग्रामीण जल संभरण/जल निकास/सीवर व्यवस्था और उच्छिष्ट जल प्रबन्धन के क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम २० वर्ष का अनुभव अवश्य होना चाहिए और उसने जल संभरण के लिए भूजल विकास और वृहद जल शोधन संयंत्र में विशिष्ट अनुभव रखने के साथ मुख्य अभियन्ता के रूप में या उसके समकक्ष पद पर सेवा की हो।

३.२ उसकी आयु **०१ जनवरी, २०२१ को ६३** वर्ष से अधिक न हो ।

३.३ वह अपने कार्यकाल के दौरान कोई अन्य पद धारित नहीं करेगा/करेगी।

३.४ कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व उसे ऐसे व्यवसाय जो सतही जल अपयोजन, जल वितरण, भूजल का निकाला जाना या सम्भरण, जल उद्योग से सम्बन्धित मशीनरी, संयंत्र, उपस्कर, उपकरण या साज सज्जों का विनिर्माण, विक्रय, पट्टा, भाड़ा या उनकी आपूर्ति या उनका समव्यवहार से त्याग-पत्र देना होगा।

४. निम्नलिखित अभिलेखों सहित आवेदन-पत्र प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन, उत्तर प्रदेश सरकार तथा पदेन सदस्य-सचिव, चयन-समिति उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग, के नाम सम्बोधित किया जायेगा

४.१ बायो-डाटा में निम्न विवरण दिया जायेगा ।

(क) नाम

(ख) जन्म स्थान, जन्मतिथि और **०१ जनवरी, २०२१** को आयु ।

(ग) वर्तमान में धारित पद या सेवा निवृत्ति से पूर्व धारित पद या अन्य ।

(घ) शैक्षिक योग्यता और अनुभव ।

(ड़) पूर्व में धारित पदों का विवरण

४.२ चयन होने की दशा में, उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग में योगदान देने से पूर्व त्याग-पत्र देने का इच्छा-पत्र (willingness letter) ।

४.३ किसी कार्यालय, नियोजन या परामर्शदात्री अनुबन्ध या व्यवस्था जो सतही जल अपयोजन, जल वितरण, भूजल का निकाला जाना या सम्भरण, जल उद्योग से सम्बन्धित मशीनरी, संयंत्र, उपस्कर, उपकरण या साज सज्जों का विनिर्माण, विक्रय, पट्टा, भाड़ा या उनकी आपूर्ति या उनका समव्यवहार आदि जो उसके या उसके किसी नातेदार के नाम से हो या उनमें से किसी के स्वामित्व में या किसी फर्म के नियंत्रण में हो का विस्तृत विवरण पत्र द्वारा देना होगा।

५. उपरोक्त निर्दिष्ट विस्तृत विवरण एवं बायो-डाटा के साथ प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन, उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित प्रार्थना-पत्र पंजीकृत स्पीड पोस्ट द्वारा मैनेजर प्रशासन, राज्य जल संसाधन अभिकरण, भूतल, वाल्मी भवन, उतरेटिया, लखनऊ-२२६०२६ को **दिनांक ३० सितम्बर, २०२१** तक प्राप्त हो जाना चाहिए। अन्य विवरण के लिए उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की वेबसाइट http://irrigation.up.nic.inया राज्य जल संसाधन अभिकरण की वेबसाइट http://www.swaraup.gov.inपर भी देखा जा सकता है। विज्ञापन से सम्बन्धित किसी अन्य जानकारी के लिए या आनलाइन आवेदन-पत्र भेजने के लिए smsingh66@gmail.comपर मेल कर सम्पर्क किया जा सकता है।

६. जिन अभ्यर्थियों ने विज्ञापन संख्या 01/स्वारा-133/नियुक्ति/स्वारा/2020-21 दिनांक 18-12-2020 तथा विज्ञापन संख्या 03/स्वारा-133/नियुक्ति/स्वारा/2020-21 दिनांक 04-06-2021 के अन्तर्गत उपरोक्त पदों हेतु आवेदन किया है, उनको पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, उनका आवेदन पत्र चयन समिति के विचारार्थ स्वीकार्य है।

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
सिंचाई एवं जल संसाधन
उत्तर प्रदेश शासन/
पदेन सदस्य-सचिव, चयन-समिति,
यूपीवामरैक

OFFICE OF THE
STATE WATER RESOURCES AGENCY (SWaRA)
UP IRRIGATION & WATER RESOURCES DEPARTMENT
WALMI BHAWAN, UTRETIA, LUCKNOW 226029
Phone : 0522 – 2440863, 2443973

Advertisement No. 04/SWaRA-133/Appointment/UPWaMReC/2021-22 **Dated: 23-08-2021**

NOTIFICATION FOR APPOINTMENT OF CHAIRPERSON AND MEMBERS OF UTTAR PRADESH WATER MANAGEMENT & REGULATORY COMMISSION (UPWaMReC) UNDER UPWaMReC ACT, 2014 (U.P. Act No.5 of 2014)

1. Government of Uttar Pradesh (GoUP) has enacted Uttar Pradesh Water Management and Regulatory Commission (UPWaMReC) to regulate and recommend the tariff for water used for agriculture, industrial, drinking, power and other purposes and also for levying cess on land benefitted by flood protection and drainage works to assist the State for making policies and execution of water resources within the State, facilitate and ensure judicious, equitable and sustainable management, allocation and optimal utilization of water resources for ensuring sustainable development of the State. UPWaMReC Act has come into force from March, 04, 2014 and UPWaMReC has been established on May 19, 2014.

2. **Composition and Appointments:**

   GoUP desires to appoint Members of UPWaMReC as provided under section 3(4) of the UPWaMReC Act as per the details given in Para 3. GoUP has already constituted a Selection Committee under Section 6(1) of UPWaMReC Act. Applications are being invited by the undersigned on behalf of the Selection Committee for the post of Chairperson and Members of UPWaMReC. The pay, perks and other terms of service of the Chairperson and Member are under consideration of the Government of Uttar Pradesh.

3. **Eligibility:**

   3.1 A Person shall be qualified for consideration to the post of Chairperson and Members who fulfills the following conditions:

S.N.	Category No.	Designation	No. of Post	Eligibility
1.	Category No. 01/CP/ UPWaMReC	**Chairperson**	One	Bachelor's degree of any recognized university/ institute with administrative experience of not less than 25 years and must have held the post of Chief Secretary of the State Government or the Secretary to the Government of India or any post equivalent thereto and has experience of departments related to water resources.
2.	Category No. 02/MWR/ UPWaMReC	**Member (Water Resources Engineering)**	One	Expert in the field of water resources having bachelor's degree in civil engineering of any recognized university/institute and having experience of at least 20 years of service in the field of irrigation/ water resources and having served as Chief Engineer or any post equivalent thereto.
3.	Category No. 03/MWE/ UPWaMReC	**Member (Water Resources Economy)**	One	Expert from the field of water resources economy having master's degree in economics/commerce/MBA with finance/accountancy. He must have at least 20 years of experience, having worked as a professor in a reputed institute of management or as a whole time director in a financial institution specified under section 4A of the Companies Act, 1956 or as a whole time director in a scheduled bank within the meaning of the Reserve Bank of India Act, 1934 or have a substantial professional background of finance, regulation, tariff structuring etc.

②

S.N.	Category No.	Designation	No. of Post	Eligibility
4.	Category No. 04/MDW/ UPWaMReC	**Member (Drinking and Waste Water)**	One	Expert in the field of drinking water and waste water management having bachelor's degree in civil/public health/environmental engineering of any recognized university/institute. He must have at least 20 years experience having worked in the field of urban/rural water supply/drainage/sewerage and waste water management and having served as Chief Engineer or any post equivalent thereto with particular experience in ground water development for water supply and large water treatment plants.

3.2 He/she is not more than **63 years** of age as on **01 January, 2021.**

3.3 He/she does not hold any other office during his/her tenure as such.

3.4 He/she, before taking charge of the office, divests himself/herself from the interest in businesses related to diversion of surface water, distribution of water, extraction or supply of ground water, and manufacture, sale, lease, hire or otherwise supply of or dealing in machinery, plant equipment, apparatus or fittings related to water industry as a condition of his/her appointment.

4. Application shall be addressed to the Principal Secretary, Irrigation and Water Resources, Government of Uttar Pradesh and ex-officio Member Secretary of the UPWaMReC Selection Committee along with the following documents.

4.1 Bio-data, which shall contain the following details:

(a) Name

(b) Birth place, date and age as on **01January, 2021**

(c) Post presently held or last post held before retirement or otherwise.

(d) Educational qualification and experience.

(e) Details of posts previously held.

4.2 Willingness letter to resign his/her present post to join UPWaMReC, if selected.

4.3 A letter intimating the details of any office, employment or consultancy agreement or arrangement related to diversion of surface water, distribution of water, extraction or supply of ground water, and manufacture, sale, lease, hire or otherwise supply of or dealing in machinery, plant equipment, apparatus or fittings related to water industry which he/she or his/her relative has in his own name or has association in any firm owned or otherwise controlled by any of them.

5. Applications duly furnishing above details along with bio-data, as specified above, shall be addressed to Principal Secretary, Irrigation and Water Resources, Government of Uttar Pradesh and sent through registered speed post to Manager Administration, State Water Resources Agency, Ground Floor, WALMI Bhawan, Utretia, Lucknow-226029 to reach this office upto **30th September, 2021**. The Uttar Pradesh Irrigation Department websites http://irrigation.up.nic.in and State Water Resources Agency website http://www.swaraup.gov.in may also be visited for other details. For any clarification regarding the notification and to send on-line applications, mail to smsingh66@gmail.com

6. The Applicants who have already applied as per Advertisement No. 01/SWaRA-133/Appointment/SWaRA/2020-21 dated 18-12-2020 and Advertisement No. 03/SWaRA-133/Appointment/SWaRA/2020-21 dated 04-06-2021 need not reapply. Their application will be accepted and under consideration of selection committee.

Additional Chief Secretary/Principal Secretary,
Irrigation and Water Resources
Government of Uttar Pradesh and
Ex-Officio Member Secretary, Selection Committee,
UPWaMReC,